महत्वपूर्ण एवं खास

जीपीएफ खातों के त्रुटियों की निराकरण के लिए शिविर 27 एवं 28 को

संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन शिखा राजपूत तिवारी भी होंगी मौजूद

राजनांदगांव, (आरएनएस)। जीपीएफखाते में त्रुटियों के निराकरण के लिए राजनांदगांव जिले में विशेष शिविर का आयोजन 27 एवं 28 अप्रैल को जिला पंचायत सभाकक्ष में किया जाएगा। शिविर में संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन शिखा राजपूत तिवारी एवं वरिष्ठ उपमहालेखाकार अशोक कुमार जोशी भी उपस्थित रहेंगे। 27 अप्रैल को जिला कोषालय के अंतर्गत आने वाले समस्त डीडीओ के लिए एवं 28 अप्रैल का दिन उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले समस्त डीडीओ के लिये रखा गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने सभी डीडीओ से विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की जीपीएफ से संबंधित त्रुटि दूर करने शिविर का लाभ लेने के निर्देश दिए हैं। जिला कोषालय अधिकारी धीरज नशीने ने बताया कि प्रकरण के निराकरण के लिए सुंसगत एवं वांछित अभिलेखों को लाना अनिवार्य होगा।

सट्टा खिलाते नितेश मोदी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। सिटी कोतवाली पुलिस ने सट्टा खिला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 13 हजार 600 रुपये नकदी, दो मोबाइल व सट्टा-पट्टी जब्त किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विद्यार्थी बुक डिपो का संचालक नितेश मोदी पिता भगवान दास मोदी अवैध रूप से सट्टा खिलाने का काम करता है। इस आधार पर पुलिस ने पाइंटर बनाकर 10 हजार रुपये के नोटों के सीरियल नंबर का पंचनामा बनाकर मुखबिर के बताए स्थान पर पाइंटर भेजा। मौके पर नितेश सट्टा खिलाते मिल गया। पाइंटर के दिए गए 10 हजार रुपये को जैसे ही नितेश ने लियाए पीछे से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने 3600 रुपये व दो मोबाइल जब्त किया है। पाइंटर के दिए गए 10 हजार रुपये को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

हत्या-लूट के आरोपी पर पुरस्कार

कोरबा(आरएनएस)। डेढ़ माह पहले बालकोनगर से श्यांग जाने के बहाने स्कार्पियो बुकिंग में ले जाकर गुरमा जंगल में चालक वास्तव वैष्णव की हत्या करके वाहन लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी मुकेश जायसवाल उर्फ राजेश उर्फ नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम भाटा थाना खरसिया जिला रायगढ़ फरार हो गया। पुलिस टीम ने लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में संभावित जगहों पर खोजबीन की। लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद एसपी मयंक श्रीवास्तव ने उस पर इनाम की घोषणा की। अब उक्त फरार आरोपी की सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले को 10000 रुपए का पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।

आसाराम को विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

10 साल से उम्रकैद तक हो सकती है सजा

जोधपुर (आरएनएस)। यूपी के शाहजहांपुर की नाबालिग युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। हालांकि आसाराम के दो अन्य सहयोगियों प्रकाश और शिवा को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि दोषी ठहराए गए शरतचंद्र और शिल्पी जमानत पर जेल से बाहर थे, इसके अलावा बरी किए गए शिवा को भी बेल मिल गई थी। लेकिन प्रकाश ने आसाराम की जेल में सेवा करने के मकसद से बेल ही नहीं ली थी। आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट समेत 14 धाराओं में केस चल रहा था। आसाराम और उसके अन्य सहयोगियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा को लेकर बहस होगी। पॉक्सो ऐक्ट के तहत आसाराम को इस केस में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि आसाराम की उम्र काफी अधिक 78 साल है, ऐसे में उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। अदालत के आदेश के बाद आसाराम के प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा, हम इस पर अपनी लीगल टीम से बातचीत करेंगे और भविष्य की कार्रवाई पर विचार करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई थी। फैसले के दौरान दंगा नियंत्रण फोर्स ने पूरे जोधपुर शहर में फ्लैग मार्च किया ताकि किसी भी तरह के उपद्रव को टाला जा सके। बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह पर फैसला सुनाए जाने के बाद पंचकूला में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था, इससे सबक लेते हुए ही राजस्थान सरकार पूरी तरह अलर्ट है। इस मामले में आसाराम के अलावा उनके प्रमुख सेवादार शिवा उर्फ सवाराम, प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया), शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता, शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र भी आरोपी हैं। इस बीच शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आसाराम पर जोधपुर के मनाई गांव में स्थित उसके आश्रम में रहने वाली छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले समेत कई अन्य केसों में आरोपी आसाराम 31 अगस्त, 2013 से ही जेल में बंद है। पीड़ित युवती के दलित एवं नाबालिग होने के चलते आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट लगाया गया था। 12 बार खारिज हुई बेल, 30 वकील फेल, अब और बढ़ेंगी मुश्किलें आसाराम के खिलाफ सूरत में भी रेप का एक मामला चल रहा है। इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष को 5 सप्ताह के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था। बता दें कि सितंबर, 2013 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आसाराम ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 12 बार जमानत याचिकाएं दाखिल कीं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। राम जेठमलानी, सुब्रमण्यन स्वामी और सलमान खुर्शीद जैसे तमाम वकील भी उन्हें जेल से बेल नहीं दिला सके। अब दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

कोर्ट ने दिया पत्नी के कमरे में एसी लगवाने का आदेश

गाजियाबाद ,(आरएनएस)। कोर्ट ने विवाहिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके मैनेजर पति को आदेश दिया है कि वह पत्नी के कमरे में एसी लगवाएं और हर महीने की 10 तारीख को उसे 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता के रूप में भी दें। साथ ही कोर्ट ने परिवार परामर्श केंद्र की महिला कॉन्स्टेबल को भी आदेश दिया है कि वह प्रत्येक सप्ताह युवती के घर जाकर उनका हालचाल पूछें और कोर्ट को भी उससे अवगत कराएं। क्या है मामला मानसी विहार में रहने वाली एक युवती की शादी वर्ष 2013 में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में बतौर मैनेजर काम करने वाले एक युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद विवाहिता को कोई बच्चा नहीं हुआ। ससुराल पक्ष के लोग उन्हें बांझ कहकर ताना देते हैं। ससुराल वाले उन्हें घर में रखने को तैयार नहीं हैं। महिला को सर्वेंट क्वार्टर में रखते हैं। सर्वेंट क्वार्टर की बिजली भी काट दी गई और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। मैनेजर पति अपने माता-पिता के इशारे पर विवाहिता का उत्पीड़न कर रहा है। इतना ही नहीं मैनेजर पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। जब युवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने कोर्ट में भरण पोषण का मुकदमा दायर कर दिया। साथ ही रूम में एसी लगवाने और भरण पोषण के लिए प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये दिलाने की भी कोर्ट से गुहार लगाई।

10 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है आसाराम

4 करोड़ भक्त होने का दावा

अहमदाबाद ,(आरएनएस)। युवती के साथ रेप के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को स्वयंभू बाबा आसाराम को दोषी ठहराया। आसाराम इन दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। बलात्कारी बाबा आसाराम के पास न भक्तों की कमी है और न ही पैसे की। आसाराम ट्रस्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि उसके विश्वभर में करीब 4 करोड़ भक्त हैं और गुजरात पुलिस की मानें तो स्वयंभू बाबा के पास 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। वर्ष 2014 में गुजरात पुलिस ने खुलासा किया था कि रेप मामले में जेल की हवा खा रहे आसाराम के पास दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। पुलिस ने बताया कि अकूत संपत्ति के मालिक आसाराम की देशभर में जमीनें हैं, जिसकी कीमत अभी आंकी नहीं गई है। यह आंकड़ा वर्ष 2014 का है और वर्ष 2018 में आसाराम की संपत्ति की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। सूरत पुलिस के मुताबिक आसाराम के आश्रमों पर छापे के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच में साबित हुआ कि उनके आश्रमों के पास बैंक खातों और अन्य इन्वेस्टमेंट के रूप में 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक की दौलत है। उसने बताया कि 10,000 करोड़ रुपये में जमीन की कीमत शामिल नहीं हैं।